संख्या-125/2023/3323/30-3-23-17बी/2016

प्रेषक,

एल0 वेंकटेश्वर लू,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ:दिनॉक 04 दिसम्बर, **2023**

विषय :- वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु अनुपूरक बजट के माध्यम से प्रावधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 में राजस्व पक्ष के अन्तर्गत अनुपूरंक बजट के माध्यम से प्राविधानित धनराशि की निम्नलिखित तालिका में अंकित कुल धनराशि रू0 2926.30 लाख (रू0 उन्तीस करोड़ छब्बीस लाख तीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत कर कतिपय शर्तों व प्रतिबन्धों के अधीन, आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि लाख रूपये में)

लेखाशीर्षक/मानक मद संख्या तथा नाम	वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु स्वीकृत कुल बजट प्राविधान	वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु अनुपूरक मांग के माध्यम से स्वीकृत बजट प्राविधान	वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्वीकृति कुल बजट प्राविधान	शासन द्वारा पूर्व में निर्गत धनराशि	वित्तीय स्वीकृत हेतु अनुमोदित की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5	6
3055-सड़क परिवहन-190-सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों की सहायता-03-राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में संसद सदस्यों की नि:शुल्क यात्रा की सुविधा के लिये निगम को प्रतिकर का भुगतान-42-अन्य व्यय	7.00	1.30	8.30	7.00	**1.30**
3055-सड़क परिवहन-800-अन्य व्यय-03-मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्युनल-52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	0.00	2925.00	2925.00	0.00	**2925.00**
				कुल योग -	**2926.30**

2- आवंटित धनराशि को व्यय करने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनॉक 17-03-2023 में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा, साथ ही क्रय संबंधी मामलों में उद्योग विभाग के शासनादेश संख्या-2573एस0पी0/18-07-76(एस0पी0)/86, दिनॉक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

08-01-1992, पत्र संख्या-2177/18-07-94-15(एस0पी0)-92 दिनॉक 17-10-94, पत्र संख्या-2275/18-05-98-15 (एस0पी0)-92टीसी, दिनॉक 07-12-98, पत्र संख्या-708/18-05-98-15(एस0पी0)-92, दिनॉक 08-01-94, पत्र संख्या-2917/18-05-2000-49 (एस0पी0)-2000, दिनॉक 20-12-2000 तथा इसके अतिरिक्त समय-समय पर उनके द्वारा जारी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय एवं जहॉ टेण्डर आदि की आवश्यकता हो, वहॉ उसका नियमानुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। धनराशि टुकड़ों में व्यय किये जाने से बचा जाय।

3- इसके अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उक्त धनराशि का प्रदेशन (एलाटमेण्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्सियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

4- व्यय विवरण प्रत्येक मास की 10 तारीख तक वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9 एवं परिवहन अनुभाग-3 को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

5- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
ह0/-
(एल0 वेंकटेश्वर लू)
प्रमुख सचिव।

संख्या-125/2023/3323(1)/30-3-2023, तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/ समस्त कोषाधिकारी, उ0प्र0।
4- वित्त नियंत्रक, परिवहन आयुक्त कार्यालय, लखनऊ।
5- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9
6- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
(नितिन कुमार गुप्त)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।